(ख) किन समाचार पत्रों ने बछावत पंचाट के अनुसार अब तक अन्तरिम राहत नहीं दी है ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन जो इस मामले में समुचित सरकार है, द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली में स्थित निम्नलिखित समाचार पत्र प्रतिष्ठानों ने पालेकर अवार्ड को आंशिक रूप से लागू किया है :—

(i) मैसर्स बनेट कोलमन लि., नई दिल्ली वर्गीकरण के मामले में प्रबंध तंत्र ने उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की तथा वह तारीख 20.5.81 और 4.12.81 के आदेशानुसार बढ़ी हुई राशि का 50 प्रतिशत दे रहा है।

(ii) मैसर्स अल्जामियात (अब बन्द हैं)।

(iii) मैसर्स समाचार भारती (अब बन्द है)।

(iv) मैसर्स डेली दावते उनके आपसी करार के अनुसार ग्रुप–iii की बजाय ग्रुप–iv को कातिब दिए जा रहे हैं।

(v) मैसर्स सवेरा अंशकालिक श्रम जीवी पत्रकारों को उनकी पुरानी परिलब्धियां दी जा रही हैं जैसा कि उनका विकल्प था।

(vi) मैसर्स शमा ग्रुप

प्रबंध तंत्र तारीख 28.8.80 तथा 31.3.81 के आपसी करार के अनुसार मजदूरी का भुगतान कर रहा है। अवार्ड के लाभ केवल पत्रिका कर्मचारियों को दिए जाते हैं।

दिल्ली प्रशासन को किसी समाचार-पत्र प्रतिष्ठान द्वारा अन्तरिम राहत की अदायगी न किए जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

इस्पात और खान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के लिए कार्यकारी दल

3244. **डा. रत्नाकर पांडे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात और खान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए कोई कार्यकारी दल या पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं ;

(ख) क्या हिन्दी भाषी राज्यों के सभी कर्मचारि अनिवार्य रूप से हिन्दी में काम करते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उन्हें केवल हिन्दी में काम करने के लिए निर्देश दिये जाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) जी, हां। इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन दो अधीनस्थ कार्यालय हैं—भारतीय जांच ब्यूरो तथा भारतीय भू-सर्वेक्षण इन दोनों संगठनों के कार्यालयाध्यक्ष अपने-अपने कार्यालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए उत्तरदायी हैं तथा इन दोनों कार्यालयों में यथा अपेक्षित राजभाषा कार्यान्वियन समितियां भी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के दिनांक 23.11.87 के कार्यालय ज्ञापन में निहित निर्देशों के अनुसरण में इस मंत्रालय के अधीन क्षेत्र "क" और "ख" में स्थित सभी कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं कि हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी 1.4.88 से कुछ विशिष्ट श्रेणियों के मसौदे हिन्दी में ही प्रस्तुत करेंगे।